कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 845 /23एल.ए. दिनांक 14/05/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :– जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड़ जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/75/2016/एफ0सी0/1135 दिनांक 31.08.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/75/2016/एफ0सी0/1135 दिनांक 31.08.2018 द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पंत्राक 10/23 एल0ए0 दिनांक 13.01.2022 एवं पंत्राक 675/23 एल0ए0 दिनांक 28.03.2023 व 1014/23 एल0ए0 दिनांक 05.05.2025 द्वारा पुनः बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या –01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल ग्राम कलकोट सिविल सोयम भूमि के 4.20 है0 पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु 4.20 है0 रू0 11,70,393.00 (रू0 ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्वे) की धनराशि जमा की जानी है एवं उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाना है।	आर0टी0जी0 के माध्यम रू0 11,70,393.00 (रू0 ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्वे) की धनराशि दिनांक 29.01.2019 उत्तराखण्ड़ कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। वन विभाग के नाम क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम– कलगोट 4.20हे0 सिविल भूमि का नामान्तरण एवं हस्तान्तरण पेज न0 1 से 4 तक।
2	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.6 Open Forest ईको क्लास–V की निर्धारति धनराशि 8,45,000.00 X 2.10 = रू0 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जाना है।	आर0टी0जी रू0 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) एन0पी0वी0 की धनराशि दिनांक 29.01.2019उत्तराखण्ड़ कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। प्रमुख वन सरंक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के पंत्राक 1875/12–1 दिनांक 21.01.2025 के क्रम में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू. 940485.00 का भुगतान खता संख्या 15089619450958 दिनांक 25.02.2025 द्वारा उत्तराखण्ड केम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। पेज न0 5–10।

Scanned with OKEN Scanner

3	शर्त संख्या –03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है, उसे जमा करने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शर्त संख्या–03 के क्रम में अवशेष धनराशि रू॰ 940485.00 का भुगतान खता सं॰ 15089619450958 दिनांक 25.02.2025 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (10–11)
4	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 की देया धनराशि समस्त देयकों के भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 का भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जा चुका है।
5	शर्त संख्या –05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (12–13)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार अुनालन आख्या।

अतः अनुरोध है कि सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (तृतीय) प्रा॰ख॰ लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर को इस आश्यक के साथ निर्देशित किया जाता है कि, डी0एफ0ओ0 कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/75/2016/एफ0सी0/1135 दिनांक: 31/08/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ड्रींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1390/FP/UK/ROAD/9495/2015 दिनांक 24.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/9495/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ड्रींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 है0 ग्राम – कालगोठ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Cont....

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जावे। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।.
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.20 है0 ग्राम – कालगोठ सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 117 से अधिक न हो।
10. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **अपर वन महानिदेशक** (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. **अपर प्रमुख वन संरक्षक** एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं० 874
पत्रावली सं० 23 LA
27-02-2020

– आदेश –

जनपद चमोली अन्तर्गत जनपद चमोली में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ढींग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.100 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.200 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/2016/2017/एफ0सी0/1135 दिनांक 31.03.2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी जोशीमठ की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत जनपद चमोली में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ढींग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.100 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम कलगोठ तहसील जोशीमठ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0ख0सं0–18 के खसरा सं0–1386 रकबा 4.553 है0 भूमि मध्ये 3.730 है0 एवं खसरा सं0–1423 रकबा 4.012 है0 भूमि मध्ये 0.470 है0 भूमि अर्थात कुल 4.200 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II)/2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

AE (Joshimath)/LAC
26-2-2020

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 4025/छब्बीस– 18 (2011–2012) गोपेश्वर: दिनांक: 25 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जोशीमठ।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

जिलाधिकारी,
चमोली

R.No-874/28 LA दि० 29-02-20

प्रतिलिपि - खण्डीय अभि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29.2.20
अधि. शासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

		1377	0.840
		1460	16.128
	योग	05	22.740 [illegible]
8	→ [illegible]	7	0.369
		35	0.266
		46	0.018
		50	0.025
		54	0.361
		57	0.187
		72	0.431
		102	0.128
		107	0.025
		112	1.003

[illegible]	[illegible]
146	0.123
151	0.226
198	0.009
217	0.019
227	0.116
262	0.113
267	0.168
270	0.131
272	0.148
278	0.145
282	1.399
285	0.524
287	0.890

सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

मूलेख बन्द क्ष सं॰ ...

— औरा

1407	4.944
1408	4.824
1420	0.033
1422	4.012
1425	0.181
1432	0.025
1434	3.575
1435	0.018
1442	0.061
1443	3.355
1445	0.088
1446	0.023
1458	3.291
1459	1.545
1461	3.991
1462	0.261
1464	4.288
1469	1.645
1470	0.083
1479	9.602
1480	0.045
1483	0.586
1490	7.071

- औरा

उपरोक्त
[illegible] जिलाधिकारी [illegible]
[illegible] के प्रस्ताव, सं॰ 4025/ [illegible]
2011-2012 [illegible] दिनांक 25 फरवरी 20 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] के निर्माण [illegible]
[illegible] 2.100 हे॰ [illegible]
[illegible]
[illegible] 18 के [illegible]
13 [illegible] 730 हे॰ [illegible]
[illegible] 1423 [illegible] 0.470 हे॰ [illegible] 4.200 हे॰
[illegible] के [illegible]
[illegible]
[illegible] किया गया।

[illegible]
21.3.[illegible]
[illegible]

सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

1471	4.192
1494	5.021
1495	0.942
1502	0.083
1508	0.187
354	0.054
367	0.019
371	0.029
374	0.013
387	0.058
390	0.013
392	0.053
398	0.005
403	0.249
408	0.241
413	0.013
418	0.013
444	0.015
466	0.125
472	0.261
482	1.108
485	2.006
493	0.307

288	0.220	1021	0.201
295	1.634	1024	0.176
296	0.121	1025	0.420
300	0.056	1028	0.029
304	0.126	1033	2.720
306	0.063	1036	0.207
318	0.048	1038	0.103
320	0.018	1042	0.025
322	0.028	1044	0.067
331	0.052	1049	0.111
333	0.121	1055	0.016
810	0.008	1057	0.015
832	0.058	1058	0.079
885	0.025	1065	0.013
902	0.112	1069	0.070
933	0.264	1071	1.395
942	0.239	1075	0.095
944	0.123	1084	0.053
951	0.102	1093	0.229
953	0.130	1096	0.023
959	0.229	1101	0.033
962	0.026	1124	0.052
1027	0.132	1152	0.066

सत्यापित

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail - dfo_badrinath_uto@yahoo.co.in Phone No - 01372-252175

पत्रांकः /   दिनांक, गोपेश्वर,   अक्टूबर 21 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ढींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ढींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है–

ई0ओ0 क्लास	क्षेत्रफल (है0 में)	Stage-I दिनांक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरोनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में)
			औसत	दर प्रति है0	धनराशि रू0 में	औसत घनत्व	दर प्रति है0	धनराशि (रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	2.10	06-09-2018	0.6	845000.00	1774500.00	0.6	1292850	2714985	940485.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि को सत्यापन कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि प्रयोक्ता एजेन्सी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने हेतु लिखा जा सके।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 1735 / 12-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उनके पत्र सं0 2205/23एल0ए0 दिनांक 30.09.2024 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-02-2025

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6194950958
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/75/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	940485/-

Amount in Words :Nine Lakh Forty Thousand Four Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194950958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha... even after 7 working days. then kindly mail a copy of ... to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@... ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
सत्यापित Gopeshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

25-02-2025

Scanned with OKEN Scanner

...made by User Agency

...No	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
...ROAD/9495/2015	ROAD94952015941	2,944,893.00	2,944,893.00	29/01/2019	SBIN519029838289	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	...2/10/2018	...1/11/2018	
...UK/ROAD/9495/2015	ROAD94952015958	940,485.00	940,485.00	25/02/2025	SBIN1250569393...	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	...5/11/2024	...9/01/2025	

19 Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

(i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes

(ii). Total Land identified for raising CA: 4.2

(iii). No. of Maintenance years: 10

(iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

No. of patches : 1

Patch wise details

Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	4.2

Status of CA Land so identified : Forest Area

Site Name : Kalgoth

Location Details : Kharsa 1386, 1421

Uploaded GPS File :

Uploaded Scanned copy of Map :

Status of CA Land so identified

Name of Forest.	Legal Status of Forest Land
Non- Reserve	Other Forest Land

20 Mutation Details Verified By Nodal Officer

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/UK/ROAD/9495/2015	20 Apr 2021	No Data	As per upload detail

21 Compliance Details Submitted by User Agency

Proposal No.	Compliance Details submitted on(Date)	Uploaded Letter
FP/UK/ROAD/9495/2015	05 Jul 2024	

23 Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK-ROAD/9495/2015		Approved In-Principle	No Data

सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in   Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1135 /12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 27/09/2018।

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ मे न्याय पंचायत मुख्य ग्राम [illegible] तक [illegible] मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 664/FP/UK/Road/9495/2015 दिनांक 08.09.218

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के क्रम मे अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/75/2016/एफ0सी0/1135, दिनांक 06.09.2018 से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट पत्र प्रेषित किया जा रहा है:–

1– शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 है0 ग्राम कालगोठ सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 11,70,393.00(रू0 ग्यारह लाख सत्रह हजार तीन सौ तिरानब्बे) मात्र जमा की जानी है, एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।

2– शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 17,74,500.00 (रू सत्रह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कोलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.6 (Dense forest)	8,45,000.00	2.10	17,74,500.00

3– शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत करनी होगी।

4– शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5– शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

अतः उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के Forestclearance.nic.in पर online अपने user account में जाकर Stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या online एवं आफॅलाईन (चार हार्ड प्रतियों मे) इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तत्पश्चात् विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक– / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सत्यप्रति

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Scanned with OKEN Scanner

2

AGENCY COPY

…CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

	PUBLIC WORK DEPARTMENT
	6194950941
…o.	8B/UCP/06/75/2017/FC
	UTTARANCHAL
	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
	2944893/-

…:Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand …Ninety-Three Rupees Only

… to be made as per following

…me:	UTTARANCHAL CAMPA
	CORP0000371
…t No.	150896194950941 Valid only for this challan amount.
	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

…an is strictly to be used for making …CAMPA by NEFT/RTGS only
…n is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-01-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6194950941
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/75/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	2944893/-

Amount in Words :Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896194950941 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

…successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through …skcampa@corpbank.co.in

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

28/3/23

Scanned with OKEN Scanner

एन0पी0वी वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय :– जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड़ जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड़ जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का स्वीकृति मिलने पर एन0पी0वी0 की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्वि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

विषय :- जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम ड्रींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

Scanned with OKEN Scanner